न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 56/2021

GCMS No. 2021/136

प्रार्थी:–

तारूदास पुत्र श्री मोहनदास जाति वैष्णव
निवासी नीपल पंचायत समिति रानी स्टेशन,
तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. रईगराम पुत्र पुराजी जणवा निवासी नीपल पंचायत समिति रानी स्टेशन तहसील रानी जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत नीपल पंचायत समिति रानी स्टेशन तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश वैष्णव

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.7.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत नीपल द्वारा मिसल संख्या 65/2013–14 संकल्प संख्या 04 दिनांक 30.10.2014 की पालना में अप्रार्थी रईगराम पुत्र पुराजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त, अप्रार्थीगण वक्त बहस न्यायालय में वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने वक्त बहस पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नीपल में जैर निगरानी भुखण्ड आया हुआ है जिसके पुर्व में गली, पश्चिम में सांड पाडा का घर, उत्तर में दरवाजा एवं रास्ता तथा दक्षिण में गांव की वाडी आयी हुई है। जैर निगरानी पट्टा ग्राम निपल के खसरा नम्बर 677 में जारी किया गया है जिसके संबध मे पटवार हल्का नीपल की जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 677 भूमि की किस्म गैर मुमकिन मंदिर है जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नही है, ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत की आबादी भुमि पर ही पटटा जारी करने का अधिकार है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे के लिए अप्रार्थी संख्या 01 ने आवेदन किस दिनांक को पेश किया के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में कही अंकन नही है। जैर निगरानी पट्टे के संबध में कायम मिसल का अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही एक ही दिन में एक ही स्याही एवं हस्तलेखन से की गई है। मिसल में कोरम सदस्य के हस्ताक्षर नही है और न ही राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 146(1) के तहत पंचो द्वार मौका निरीक्षण किया गया है एवं न ही नियम 148 की अक्षरश पालना की गई है। जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है जिसके तहत पुराने गृहो के कब्जे के आधार पर 100–200/–रूपये में पुश्तैनी पट्टा जारी किया जाता है एवं दो स्वतत्र गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाते है लेकिन जैर निगरानी प्रकरण में ऐसा कही दृष्टिगोचर नही होता और न ही पुश्तैनी मकान होने के प्रमाण है तथा न ही कोई स्वतत्रं गवाह के बयान लिये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी मिसल एवं रेकर्ड का अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ देने कि नियत से अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर पंचायती राज नियम 140–160 की पालना किये बगैर पट्टा जारी किया गया है जो खारिज योग्य है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि जैर निगरानी ग्राम पंचायत नीपल द्वारा मिसल संख्या 65/2013–14 संकल्प संख्या 04 दिनांक 30.10.2014 की पालना में अप्रार्थी रईगराम के पक्ष में जारी पट्टा सख्या 44 दिनांक 30.10.2014 के विरूद्ध पेश की है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टे के आवेदन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक का अंकन नहीं है और ओवदन किस आधार पर किया गया है का भी अंकन नहीं है केवल एक आज्ञा सूची में यह लिखा है कि कब्जा सुदा भूमि का पटटा बनवाने हेतु प्रार्थना प्रत्र पेश किया है। आज्ञाओं की सूची का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कही पर भी आज्ञा दिनांक का कोई अंकन नही है एवं न ही कोरम के हस्ताक्षर है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148 के तहत प्ररूप 22 के तहत आक्षेप आमंत्रित किये जाते है। प्रारूप 22 दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि हस्तगत प्रकरण में प्ररूप 22 पर केवल गवाहों के एक हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान है उनके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी अंकित नहीं है एवं न ही प्ररूप 22 पर किसी दिनांक का अंकन है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह कब जारी किया गया, साथ ही मौका निरीक्षण प्रपत्र पर केवल संरपच व पट्टा धारक के हस्ताक्षर है, सचिव एवं तीन वार्ड पंच के हस्ताक्षर नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को गांवाडा का निवासी बताया है। दो की जगह केवल एक बयान है और वह भी बयान फार्म टाइप सूदा प्रपत्र में है जिस पर न तो बयानकर्ता के हस्ताक्षर है और न ही कोई दिनांक का अंकन है जिससे यह स्पष्ट हो सके की बयान कब व किसके लिये गये है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी प्रकरण में समस्त कार्यवाही पंचायती राज नियमों के विरूद्ध एवं अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से कर ग्राम पंचायत नीपल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पंचायती राज नियमों से परे जाकर पट्टा जारी किया गया है जो न्यायोचित नहीं होने एवं काबिल खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत नीपल द्वारा मिसल संख्या 65/2013–14 संकल्प संख्या 04 दिनांक 30.10.2014 की पालना अप्रार्थी रईगराम पुत्र पुराजी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 30.10.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली